

विषय: त्रैमासिक निरीक्षण रिपोर्टें एवं अन्य आवश्यक विषय।

आदरणीय क्षेत्रीय संचालक महात्मा जी

धन निरंकार जी एवं नए साल की आपको बहुत-बहुत बधाई हो।

त्रैमासिक निरीक्षण रिपोर्टों को देखने पर ज्ञात हुआ है कि आमतौर पर यूनिटों की उपस्थिति बहुत कम होती जा रही है। सर्वप्रथम आप केवल ऐसी यूनिटों की ओर पूरा-पूरा ध्यान दें जिनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। यूनिटों की उपस्थिति में सुधार लाने एवं अन्य आवश्यक विषयों हेतु निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए:

1. सर्वप्रथम आप यूनिट के संचालकों को यह निर्देश दें कि वह अपनी यूनिट के सेवादल के पंजीकृत एवं अपंजीकृत सदस्यों (पुरुष एवं महिला) को सेवादल अधिकारियों (पुरुष एवं महिला) में बराबर-बराबर संख्या में विभाजित करें एवं इसका रिकार्ड आपके पास होना चाहिए।
2. सभी अधिकारी अपना व्यक्तिगत उपस्थिति रजिस्टर रखें जिसमें प्रत्येक अधिकारी के साथ जोड़े गए सदस्यों का विवरण संलग्न प्रार्थना के अनुसार हो।
3. अगले एक या दो सप्ताह के अंदर-अंदर आप केवल चुनिंदा यूनिटों का निरीक्षण करें जिसकी सूचना संबंधित ब्रांच के संयोजक/मुखी एवं यूनिट के अधिकारियों को पर्याप्त समय पूर्व दी जाए जिससे वे अपने साथ जोड़े गए सदस्यों को इसकी सूचना दे सकें।
4. मीटिंग के दौरान प्रत्येक संबंधित यूनिट अधिकारी अपने साथ जोड़े गए सदस्यों का नाम लेकर अपने-अपने रजिस्टर में हाजिरी लगाएं तथा अनुपस्थित सदस्यों की अलग से सूची बना लें।
5. मीटिंग की समाप्ति पर संबंधित यूनिट अधिकारी अनुपस्थित सदस्यों से स्वयं अथवा फोन के द्वारा सम्पर्क स्थापित करें तथा अनुपस्थिति का कारण रजिस्टर में दर्ज करें तथा इसकी रिपोर्ट क्षेत्रीय संचालक को दी जाए। जहां उपस्थिति में सुधार हो सकता है, सदस्यों को पूर्णरूप से उत्साहित किया जाए।
6. लगभग दो सप्ताह बीत जाने के पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते हुए यूनिट का दोबारा निरीक्षण करें एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाई की जाए। इस प्रकार भरसक प्रयास करें ताकि उपस्थिति में संतोषजनक सुधार हो सके।
7. इस ओर विशेष ध्यान दें कि यदि मौसम खराब है या संयोजक/मुखी अनुपस्थिति है या यूनिट अधिकारी ज्यादा संख्या में अनुपस्थिति है तो इस प्रकार के कैम्प/मीटिंग को रद्द समझा जाए। तदपश्चात् शीघ्र ही दोबारा मीटिंग का आयोजन किया जाए तथा केवल उसकी रिपोर्ट आपके द्वारा केन्द्रीय कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।
8. यूनिट के अधिकारियों को निर्देश दें कि वे अपनी ब्रांच में होने वाली सभी मुख्य संगतों में सेवादल के सभी सदस्यों को बुलाएं तथा उनकी उपस्थिति अपने-अपने रजिस्टर में रिपोर्टिंग टाइम लिखकर दर्ज करें।
9. यदि कोई सदस्य लगातार अनुपस्थित पाया जाता है अथवा पिछले तीन महीनों में उसकी उपस्थिति न के बराबर है तो ऐसे असक्रिय सदस्यों के नाम काटने का प्रस्ताव तैयार करें।
10. ऐसा प्रयास किया जाए कि सदस्यों की रिकार्ड में संख्या एवं हाजिरी की संख्या लगभग बराबर हो।
11. यद्यपि केन्द्र द्वारा अपंजीकृत सदस्यों को भर्ती करने हेतु चिन्ता है परन्तु यूनिटों के रिकार्ड तथा उपस्थिति का अन्तर ज्यादा होने के कारण इस कार्य में बहुत कठिनाई आ रही है। उदाहरणतय: यदि किसी यूनिट में पुरुष सदस्यों की उपस्थिति 50/120 है जबकि रिकार्ड में पंजीकृत एवं अपंजीकृत पुरुष सदस्यों की संख्या 120+30=150 है तथा ब्रांच में साप्ताहिक संगत की उपस्थिति की औसत संख्या 500 है तो इस प्रकार संगत एवं सेवादल का अनुपात 30% होगा जो सही नहीं है।

12. आमतौर पर यह देखा गया है कि यूनिट के कई अधिकारी सेवादल नियमों के अनुसार रिटायरमेंट के लिए निश्चित आयुसीमा (पुरुष-60 वर्ष एवं महिला-55 वर्ष) को पार कर चुके हैं तथा भावुकतावश सेवानिवृत्ति के लिए झिझक रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि उन्हें कृप्या अवगत कराएं कि सेवादल की संस्था केवल नियमानुसार ही चल सकती है जिसमें भर्ती का नियम (पुरुषों के लिए 16 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 13 वर्ष) एवं सेवानिवृत्ति का नियम (पुरुष-60 वर्ष एवं महिला-55 वर्ष) है। अतः सेवादल के सभी अधिकारियों/सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे भावुकतावश न होकर सेवादल की मर्यादानुसार नियमों का पालन करें।

आप ऐसे अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव के साथ नए अधिकारियों की नियुक्ति हेतु भी प्रस्ताव भेजें जिससे यूनिट का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।

13. ऐसा आमतौर पर पाया जाता है कि कई यूनिटों का रिकार्ड रजिस्टर अभी भी अधूरे हैं एवं कई कॉलम पूरे नहीं भरे गए जैसाकि: सभी सदस्यों के हस्ताक्षर एवं फोटो न होना, नाम काटने का उचित कारण न लिखना तथा महिला सदस्यों का पिता/पति के नाम (D/o, W/o) की ओर ध्यान न देना, व्यवसाय/योग्यता के कॉलमों को अपडेट न करना आदि। कृप्या निरीक्षण के समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान दें।

सारांश में यह प्रार्थना की जाती है कि फिलहाल आप केवल चुनिंदा यूनिटों का ही निरीक्षण करें तथा निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता दें एवं इसकी रिपोर्ट 15-02-2019 तक अवश्य भेज दें: (क) आवश्यकतानुसार एक मास में दो बार भी निरीक्षण किया जा सकता है जिससे उपस्थिति में संतोषजनक सुधार हो सके ताकि संगत की संख्या एवं सेवादल की संख्या का सही अनुपात बन सके।

(ख) यूनिट के सेवादल के पंजीकृत एवं अपंजीकृत सदस्यों (पुरुष एवं महिला) को सेवादल अधिकारियों (पुरुष एवं महिला) में बराबर-बराबर संख्या में विभाजित करें एवं ब्रांच में होने वाली सभी मुख्य संगतों में सेवादल के सभी सदस्यों को बुलाएं तथा उनकी उपस्थिति संबंधित यूनिट अधिकारी अपने-अपने रजिस्टर में रिपोर्टिंग टाईम लिखकर दर्ज करें। असक्रिय सदस्यों के नाम काटने का प्रस्ताव तैयार करें।

(ग) काफी लम्बे समय से नई भर्ती के लिए इन्तजार कर रहे सदस्यों को भी पंजीकरण का मौका दिए जाने के प्रयास करें।

(घ) रिकार्ड रजिस्टर के सभी कॉलमों को पूरा किया जाए।

धन निरंकार जी।

दास

ओ.पी. निरंकारी

उप मुख्य संचालक (Field & Training)

To all Khetriya Sanchalaks